राष्ट्रदूत - दिनांक 05/07/18

री के कार्यक्रम पर फिर संकट

ंसर को एक ़है। ांग ़ेना ांपा र्व के ़ेसे

आयोजन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। बता दें कि कई कानूनी अड़चनों के बाद सपना चौधरी के कार्यक्रम को पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी थी।

सपना चौधरी के सूर्यनगरी में परफोर्म करने को प्रशस्त हुए मार्ग के बाद एक बार फिर इस आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे है। अब फिर शहर के रावण का चबूतरा मैदान पर पांच जुलाई को प्रस्तावित सपना चौधरी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। सपना चौधरी का जोधपुर में प्रस्तावित प्रोग्राम शुरू से ही विवादों में रहा है। पहले सुरक्षा कारणों से पुलिस प्रशासन ने शहर में ऐसे आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर इस प्रोग्राम के आयोजन से जुडे शिवसेना के नेता संपत पूनिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION PALI

No/EPH/TA/2018-19/1896 Dated 02.07.2018

Addenda -1 in NIT No. 66/2018-16

In NIT No. 66/2018-19 of this office for the work of "Disinfection of Water by Chemical Treatment at WTP City H.W. Under UWSS Pali City", Corrected "BOQ" is being uploaded and amendments are here by issued as following :-

	Previous Date	Corrected Date
Availability of Tender Document From	11/06/2018	03/07/2018
Last date & time for downloading of tender document	04/07/2018 up to 06.00 PM	26/07/2018 up to 06.00 PM
Last date & time for online submission of tender	04/07/2018 up to 06.00 PM	26/07/2018 up to 06.00 PM
Last date & time for Physical Submission of tender Fee & EMD	05/07/2018 up to 02.00 PM	27/07/2018 up to 02.00 PM
Online Opening Bid	05/07/2018 at 03.00 PM	27/07/2018 at 03.00 PM

(Rajesh Kumar Agarwal)
Executive Engineer
PHED Division Pali

राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय-उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, दूरभाष - 0141- 2385522

औद्योगिक इकाईयों की विक्रय सूचना

राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों का "जहां है जैसी है" नगद आधार पर/विलम्बित भुगतान पर विक्रय हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद	विक्रय हेतु सम्पत्तियां
1.	मै. प्रेम मैटल्स, जे-905, (इक्लू) औ. क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	ऑटो कम्पोनेन्ट्स	भूमि - 277 वर्गमीटर भवन- 3664 वर्गफीट
2.	मै. राजस्थान ऑटोमोबाईल्स, प्लॉट नं. जी-1-711, औ0 क्षेत्र चौपानकी, जिला अलवर	ऑटो मोबाईल एवं लोकोमेटिव पार्ट्स	भूमि - 1000 वर्गमीटर भवन -12900 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि
3.	मै. नीर एंटरप्राइजेज प्रा.लि. प्लाट नं. ई-45,जी-1 औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा जिला अलवर	कम्प्रेशर पार्ट ए एच यू आदि	भूमि - 2000 वर्गमीटर भवन- 17486 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि
4.	मै. कोशल इंजीनियर्स प्लाट नं.एफ-89, एमआईए, अलवर	फेब्रीकेशन	भूमि - 1867 वर्गमीटर भवन- 7948 वर्गफीट
5.	मै. विश्वकर्मा इंजीनियरिंग एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स, प्लाट नं. एच-1-64 रीको औद्योगिक क्षेत्र, कोलाना, बांदीकुई (दौसा)	इंजीनियरिंग वर्क्स	भूमि - 500 वर्गमीटर भवन- 1823 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र(स्क्रेप)
6.	मै. एस.एल.इण्डस्ट्रीज प्लाट नं. जी-1-83 रीको औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा, जयपुर	मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ सबमर्सीबल पम्प	भूमि - 501 वर्गमीटर भवन- 3049 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि
7.	मै. विशिष्ठ मार्बल खसरा नं. 122, टूकड़ा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)	मार्बल स्लेब टाइल्स	भूमि - 4353.24 वर्गमीटर भवन- 7340 वर्गफीट एवं यंत्र एवं संयंत्र आदि

निविदा मध्याह्न 3.00 बजे तक क्रम संख्या 2,4,5 एवं 6 की संबंधित शाखा कार्यालय एवं क्रम संख्या 1, 3 एवं 7 की निविदा मुख्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को प्राप्त की जाएगी एवम तत्पश्चात उसी दिन उक्त इकाईयों की नीलामी की जाएगी।

प्रथम चरण में अविक्रित इकाईयों की नीलामी अगले चरण में की जाएगी। उक्त किसी दिवस पर अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को नीलामी की जाएगी। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

इकाई की परिसम्पत्तियों एवम् सम्बधित शाखा कार्यालयों की विस्तृत जानकारी तथा निविदा की दिनांक, समय, स्थान, धरोहर राशि एवं नियम व शर्तो के लिए निगम की वैबसाईट www.rfc.rajasthan.gov.in देखें या उप महाप्रबन्धक (अनुसरण एवं वसूली), मुख्यालय/संबंधित शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें।

राज संवाद/सी/17/2230

महाप्रबंधक (ऑपरेशन्स)

OVERNMENT OF RAJASTHAN

देवल में 4 व

डूंगरपुर, (निसं)। लगातार विगत दो दिनों से तेज उमस के बाद मंगलवार शाम को डूंगरपुर में तेज बारिश का दौर चला था इसके बाद बुधवार प्रातः हल्की फुहारों के बाद पुनः उमस का वातावरण बन गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे शहर के भीतरी व बाहरी भागों में सड़कें पानी से तरबतर हो गई। तेज बारिश से बचने के लिए आमजन सुरक्षित जगह की तलाश में दुकानों की सीढ़ियों, पेट्रोल पंम्पों की छतों के नीचे आश्रय लेकर खड़े रहे।

इधर शहर के भीतरी भागों में सर्राफा बाजार, घाटी, फौज का बड़ला, कानेरा पोल, सब्जी मण्डी, पुराना अस्पताल, मोची बाजार, धनलक्ष्मी मार्केट आदि क्षेत्रों में तेज वहाव के बीच बहते पानी के बीच बड़ी मुश्किल से नन्हे व बड़े बच्चे सड़क को पार करते हुए अपने घरों की ओर पहुंचे। अचानक एक घण्टे तक चले वर्षा के इस दौर ने पूरे बाजार को ठहरा सा दिया और सभी मार्गों पर तेज बहाव के साथ पानी बहकर निकल गया।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार बुधवार प्रातः 8 बजे एवं दोपहर 2 बजे के बाद हुई वर्षा के आंकड़ों के अनुसार देवल में 96 मिमी (चार इंच) व डूंगरपुर में 72 मिमी (3 इंच) वर्षा सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई। जबकि कनबा में 47, सागवाडा में 16, आसपुर में 30, चिखली में 4, गलियाकोट में 14, गणेशपुर में 14 मिमी, निठाऊवा में 13, साबला में 21, वेजा में 6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर मारगिया बांध भी बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद अपनी भराव

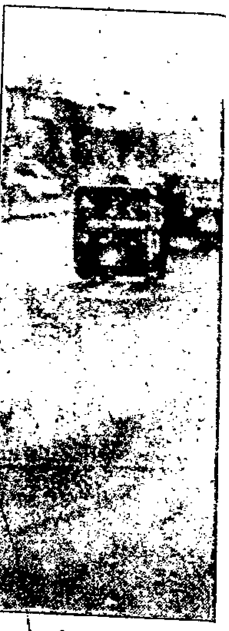

डूंगरपुर में बुधवार को तह

क्षमता को पूरा करने के नजदी सिंचाई विभाग के अनुसार सोम आम्बा, लोडेश्वर, बाबा की गजपुर, वात्रक, भादर, आंकरसो नाका, भे-का नाका, बोडी मेवाड़ा, अमरपुरा व घोडिया का में पेयजल की आवक जारी है। वर्षा के चलते इन दिनों खरीफ फसल की बुवाई को लेकर भूमि अपने खेत खलिहानों में जुटे हुए

श्रीगंगानगर बारिश गलियां बनी दरिय

श्रीगंगानगर, (निसं)। मुख्यालय पर मंगलवार देर रा

दो सहायक वनपाल सस्पें

कापरेन, (निसं)। चम्बल घडियाल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से चल रही बजरी खनन करवाने व अवैध वसूली करने की शिकायत पर डीएफओ ने क्षेत्र की डोलर चौकी के दो सहायक वनपालों को सस्पेंड कर दिया है।

चम्बल घडियाल अभयारण्य के डीएफओ रामबाबू भारद्वाज ने बताया कि देईखेडा व कापरेन क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में घड़ियालों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सहायक वनपालों सुरेंद्र सिंह हाडा व रामहेत मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। भारद्वाज ने बताया कि इन दोनों वनपालों को बजरी की रोकथाम व घडियाल सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। लेकिन इनके द्वारा वजरी का खनन करवाने व अवैध रूप से पैसों की वसूली करने की शिकायत के बाद सस्पेंड करने की कार्यवाही की गई है।

उन्होंने कहा कि समय समय पर अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी रोक नहीं लगना बड़ी समस्या थी तथा इस प्रकार की मिलीभगत की शिकायत पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है तथा मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।

हथियारबंद बदमाशों